वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 30.05.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, आज, दैनिक जागरण, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 30.05.2025

जोन एक ने सबसे अधिक मानचित्र जारी किए

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बृहस्पतिवार को जोन एक को सर्वाधिक मानचित्र (15) स्वीकृत कराने और जोन चार को सर्वाधिक धनराशि 2,20,59,730 रुपये जमा कराने के लिए प्रशस्तिपत्र प्रदान किया। उन्होंने बताया कि जोन एक ने 15 मानचित्र और 42,45,892 रुपये जुटाए। जोन दो ने दो मानचित्र स्वीकृत कर 40,70,280 रुपये जुटाए। जोन तीन ने 65,51,106 रुपये जुटाए और पांच मानचित्र स्वीकृत किए। जोन चार ने 2,20,59,730 रुपये जुटाए और पांच मानचित्र स्वीकृत किए। इसी तरह जोन पांच ने 25,02,939 जमा कराकर चार मानचित्र स्वीकृत किए। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 30.05.2025

नौ मानचित्र किए गए स्वीकृत

वाराणसी। वीडीए सभागार में बृहस्पतिवार को मानचित्र निस्तारण कैंप लगा। इस दौरान 105 नोटिस पर सुनवाई हुई और छह शमन मानचित्र दाखिल किए और नौ शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए। इस दौरान 20,83,431 रुपये प्राधिकरण कोष में जमा कराए गए और 35 मानचित्रों में आपत्तियों का निस्तारण किया गया। इस दौरान अपर सचिव परमानन्द यादव आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

वसूली तेज करने के निर्देश

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बृहस्पतिवार को सभी जोन की तीन महीने की समीक्षा की। इसमें शमन मानचित्र, स्वीकृत मानचित्र और शुल्क वसूली की समीक्षा की गई। इसमें सचिव ने वसूली तेज करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता राजू कुमार, जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला मौजूद रहे। ब्यूरो

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 30.05.2025

विप्रा कैंप में नौ मानचित्र हुआ स्वीकृत

एक लाख हुआ कोष में जमा

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर गुरुवार को विकास प्राधिकरण के सभागार में नोटिस एवं मानचित्र सुनवाई का कैंप लगाया गया। जिसमें ६७ आवेदक उपस्थित थे। कैंप में १०५ नोटिसों पर सुनवाई की गयी। छह शमन मानचित्र दाखिल हुये, नौ शमन मानचित्र स्वीकृत किये गये जिसकी वजह से विप्रा के कोश में २० लाख ८३ हजार ४३१ जमा किया गया। ३५ मानचित्रों में आपत्ति का निस्तारण किया गया। कैंप में अपर सचिव परमानंद यादव के अलावा जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, भवन लिपिक, नियोजन आवासि, सिलिंग और विधि अनुवाद के कर्मचारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि नागरिकों के प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण करने के लिए गुरुवार को नोटिस और मानचित्र का निस्तारण किया जायेगा।

आज–दि0 30.05.2025

विप्रा सचिव ने विभिन्न जोनों की प्रगति पर ली बैठक

विप्रा सचिव डाक्टर वेद प्रकाश मिश्र ने वार्ड दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक कोतवाली और जोन-४ में भेलूपुर, नगवां और जोन-पांच में रामनगर, मुगलसराय में निर्माण और बकाया राशि जमा करने को लेकर अधिकारियों

और अियंताओं के साथ बैठक की जिसमें शमन मानचित्र, स्वीकृत मानचित्र के अलावा अवैध प्लाटिंग और ध्वस्तीकरण की कारवाई, पेट्रोल पंप, डीजल, सीएनजी के निर्माण और दस बड़े बकायेदारों के वसूली को लेकर बिंदुवार समीक्षा की। जिसमें उन्हें बताया गया कि अभी तक सात मानचित्रों की स्वीकृत दी जा चुकी है और जोन-तीन, चार, पांच में ५० लाख ५७ हजार ५० रुपया विप्रा कोष में जमा किया गया। सचवि ने अधिकारियों का बैठक लेते हुए चेतावनी दिया कि बकायेदारों के विरुद्ध तेजी से कारवाई करें और सील भवनों के विरुद्ध कारवाई में तेजी लायी जाय। बैठक में जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, संजीव कुमार, सिंह गौरव जयप्रकाश के अलावा अवर अभियंता राजीव कुमार, आदर्श निराला एवं सोनू कुमार, अशोक यादव सहित संबंधित विभाग के लिपिक मौजूद थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 30.05.2025

आवासीय मानचित्र पास करा व्यावसायिक निर्माण करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कहा कि कुछ भवन स्वामी आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यावसायिक निर्माण कर रहे हैं, ऐसे भवनों पर विशेष नजर रखें। जो बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण कर रहे हैं उन्हें नोटिस जारी करने के साथ सील करने की कार्रवाई करें। जब तक भवन स्वामी मानचित्र स्वीकृत नहीं कराता है तब तक उन भवनों पर नजर रखें। उन भवनों की सूची बनाने के साथ सुपरवाइजर को हर दूसरे दिन मानीटरिंग करने को कहें। वह गुरुवार को जोन तीन (वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली), चार (भेलुपुर व नगवां) और पांच (रामनगर व मुगलसराय) के प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा ● जागरण

उन्होंने कहा कि गंगा घाट किनारे से दो सौ मीटर दायरे में नए निर्माण पर पूरी तरह से रोक है। सिर्फ मरम्मत की अनुमति मिलती है लेकिन कुछ लोग चोरी-छिपे नए निर्माण कर रहे हैं, ऐसे भवनों की सूची बनाने के साथ सील करने के साथ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करें। गंगा घाट किनारे किसी भी दशा में अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। बैठक में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, सौरभ देव प्रजापति और सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता राजू कुमार, आदर्श निराला, सोनू कुमार, अशोक आदि मौजूद थे।

न्यायाधीश–दि0 30.05.2025

जोन-01 को सर्वाधिक मानचित्र स्वीकृत कराने तथा जोन-04 को सर्वाधिक धनराशी जमा कराने हेतु प्रशस्तिपत्र प्रदान किया गया

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-01 को सर्वाधिक मानचित्र (15) स्वीकृत कराने तथा जोन-04 को सर्वाधिक धनराशी (रु. 02,20,59,730) जमा कराने हेतु प्रशस्तिपत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर सचिव महोदय ने दोनों जोन के जोनल अधिकारियों की सराहना की और उनकी कार्यक्षमता को उजागर किया।विभिन्न्जोनों द्वारा जमा की गई धनराशी और स्वीकृत मानचित्रों का विवरण निमनलिखित है:जोन-01जमा धनराशी: रु. 42,45,892 स्वीकृत मानचित्र: 15 जोन -02 जमा धनराशी: रु. 40,70,280 स्वीकृत मानचित्र: 02 जोन-03जमा धनराशी: रु. 65,51,106 स्वीकृत मानचित्र: 06जोन-04 जमा धनराशी: रु. 02,20,59,730स्वीकृत मानचित्र: 05 जोन-05 जमा धनराशी: रु. 25,02,939 स्वीकृत मानचित्र: 04मौके पर अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा, नगर नियोजक प्रभात कुमार , सभी जोन के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता उपस्थित रहें।

न्यायाधीश–दि0 30.05.2025

डीआईजी कॉलोनी में अधिकारी आवास के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत

वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की 132वीं बोर्ड बैठक में बारामती खजूरी स्थित डीआईजी कॉलोनी के प्लॉट संख्या-58 पर अधिकारियों के लिए आवासों के निर्माण और प्लॉट संख्या-34 पर स्थित निष्प्रयोज्य भवन के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की गई है।प्लॉट संख्या-58 पर बनने वाले भवनों के निर्माण पर अनुमानित लागत 268.24 लाख निर्धारित की गई है। जिसमे (स्टिल्टः3 मंजिले) भवनों हेतु कुल 04 फ्लैट 3 के निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।प्लॉट संख्या-34 पर (स्टिल्टः3 मंजिले) भवनों

हेतु कुल 06 फ्लैट 3 का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । जिसमे भवनों की निर्माण लागत 383.69 लाख सम्भावित है ।उपरोक्त भवनों में आरसीसी कार्य, फिनिशिंग, आंतरिक विद्युतीकरण, प्लंबिंग, फायर फाइटिंग और मशीन रूम जैसी सुविधाएँ होंगी।